यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई कसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, अल्मोड़ा के माह 04/2015 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री र व शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 08.05.2017 से 20.05.2017 तक श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री खजान संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 30.05.2014 से 06.06.2014 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2012 से 04/2014 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान में लेखापरीक्षा में माह 05/2014 से 04/2017तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत संचा लत आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 व शष्ट सेवायें समन्वित रूप में लाभा र्थयों को प्रदान की जाती है। (1) पोषण एवं स्वास्थ्य शक्षा (2) स्वास्थ्य परीक्षण (3) सन्दर्भ सेवायें (4) प्रतिरक्षा/टीकाकरण (5) अनुपूरक पोषाहार (6) प्रारम्भिक बाल्यावस्था एवं देखभाल।

समस्त अल्मोड़ा जनपद।

3. इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

1- समे कत बाल वकास सेवायें
2- अनुपूरक पोषाहार
3- मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना
4- नन्दा देवी कन्या योजना
5- कशोरी शक्ति योजना
6- आई.सी.डी.एस. प्र शक्षण कार्यक्रम

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनरा श ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (-)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	0.00	0.00	676.03	641.93	2087.06	1832.17	-	288.99
2015-16	0.00	0.00	142.38	122.26	203.71	197.68	-	26.15
2016-17	0.00	0.00	30.15	29.57	583.25	580.89	-	2.94

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य	बचत

(ii) इकाई को बजट आवंटन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई (ए) श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है। केन्द्र व राज्य सरकार से रा श प्राप्त करता है।

(iii) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स चव
2. निदेशक
3. DPO
4. CDPO

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, अल्मोड़ा एवं लेखापरीक्षा व ध लेनदेन की लेखापरीक्षा को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 से 09/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। समे कत बाल वकास सेवायें, अनुपूरक पोषाहार,

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, अल्मोड़ा का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 18, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : विभागीय उदासीनता के कारण नंदा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अभियान' योजना के अंतर्गत कुल 4852 लाभार्थियों को रू0 15000/– प्रति की दर से 727.80 लाख का भुगतान किया जाना लंबित रहना।

राज्य, सहायतित नंदा देवी कन्या योजना' 'हमारी कन्या हमारा अभियान' योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हो चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित संताने भी हो को दिया जाना है योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रू0 15000/– की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अधिकतम 1 माह के अन्दर 5000/– की धनराशि A/c Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष रू0 10,000/– की धनराशि की एफ.डी. बैंक में कन्या तथा उसके माता–पिता के नाम से संयुक्त रूप से कराई जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता–पिता के खाते में E-transfer के माध्यम से रू0 5000/– की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों क अवधि के लिये एफ.डी. करा दी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत् होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2016–17 (दिसम्बर 2016) की अवधि में उक्त योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त 8985 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 4133 लाभार्थियों को ही उक्त योजना के अंतर्गत रू0 15000/– की दर से भुगतान किया गया था जबकि लेखापरीक्षा तिथि (मई 2017) पर 4852 लाभार्थियों को रू0 15000/– प्रति की दर से कुल रू0 727.80 लाख का भुगतान किया जाना लंबित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि बजट के अभाव में शत–प्रतिशत लाभार्थियों को लाभान्वित नहीं किया जा सका। इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप 4852 लाभार्थी योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित थे।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण 4852 लाभार्थियों को रू0 15000/– की दर से कुल 727.80 लाख का भुगतान लंबित होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण एवं पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण कार्य को अपूर्ण रखते हुये रू0 181.77 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखा जाना।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, अल्मोड़ा कार्यालय के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद, अल्मोड़ा में 157 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण, 8 पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण कार्य एवं तीन आपदाग्रस्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों के पुर्ननिर्माण कार्य हेतु रू0 728 लाख की धनराशि प्रदान की गयी थी। उक्त धनराशि जनपद के सभी 11 विकासखण्डों को जुलाई 2015 में जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा प्रदत्त इस निर्देश के साथ अवमुक्त की गयी थी कि उपरोक्त निर्माण कार्यों को वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाये।

उक्त कार्यों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 157 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण, 08 पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण के कार्य एवं 03 आपदाग्रस्त आपदागस्त आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के पुर्ननिर्माण के कार्य के सापेक्ष सम्प्रेक्षा तिथि (मई 2017) तक मात्र 33 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रो का निर्माण एवं 03 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण का ही कार्य पूर्ण किया जा सका, इस प्रकार 127 नवीन आंगनाबाड़ी केन्द्रो का निर्माण कार्य एवं 05 पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण का कार्य संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को धनराषि अवमुक्त होने (जुलाई 2015) के 1 वर्ष 9 माह की अवधि (सम्प्रेक्षा तिथि मई 2017) व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अपूर्ण पड़ा था तथा इसके साथ ही साथ रू0 181.77 लाख की धनराशि भी विकासखण्ड स्तर पर अवरूद्ध रखी गयी थी।

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसका निर्माण कार्य शीघ्र कर लिया जायेगा। केन्द्र भवनों के पूर्ण निर्माण के उपरांत किसी केन्द्र भवन की धनराशि आवंटित धनराशि से शेष बचती है तो उसको समर्पित कर दिया जायेगा। वर्तमान में अवरूद्ध धनराशि का शीघ्र उपयोग करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जो निर्माण कार्य धनराशि अवमुक्त किये जाने के 1 वर्ष 9 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अपूर्ण पड़े थे एवं इसके साथ ही साथ रू0 181.77 लाख की धनराशि भी खण्ड विकास स्तर अवरूद्ध रखी गयी थी।

इस प्रकार समय से निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने के साथ–साथ रू0 181.77 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रसतर 3 : रू0 12502200/– की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 22.07.2016 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के अन्तर्गत जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को आवंटित धनराशियों को माता समितियों के खातों में अन्तरित करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र 10 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मा. मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को रू0 20086500/– की धनराशि अवमुक्त की गई थी जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा तिथि (मई 2017) तक मात्र रू0 8542300/– की धनराशि के ही उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये थे। शेष धनराशि रू0 11544200/– की **धनरा श के प्रमाण पत्र एक से दो वर्ष की अव ध व्यतीत हो** जाने के पश्चात् भी प्राप्त नहीं किये गये थे।

इसके अतिरिक्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इकाई द्वारा वर्ष 2016–17 में रू 958000/– की धनराशि प्राचार्य, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोड़ा को अवमुक्त की गई थी परन्तु वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पश्चात् लेखापरीक्षा तिथि (मई 2017) तक की उक्त राशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्प्रेक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अवमुक्त धनराशियों के उपभोग प्रमाण पत्र धनराशि के व्यय होते ही प्राप्त कर लेने चाहिए थे।

अतः रू0 12502200/– (रू0 11544200+958000/–) की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 4 : रू0 6.32 लाख की समर्पित की जाने वाली धनराशि को अवरूद्ध रखना।

शासनादेश संख्या 4132/बजट 2570/2013–14, दिनांक 26, फरवरी 2014 के द्वारा आपदाग्रस्त जनपदों में पूर्ण/आंतरिक रूप से क्षतिग्रस्त आंगनाबाड़ी भवनों के पुर्ननिर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में इकाई को वृहत निर्माण कार्य व अनुरक्षण हेतु क्रमशः 31.50 लाख व रू 1.00 लाख कुल 32.50 लाख रू0 निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत/ निर्वतन पर रखी गयी :

(1) आवंटित धनराशि का व्यय, जिस प्रयोजन हेतु जारी किया जा रहा है, उसी प्रयोज्य हेतु व्यय किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु धनराशि किसी भी दशा में व्यय नहीं की जायेगी।

(2) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाये और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(3) जिस मद में आंवटित धनराशि का व्यय न हो/बचत हो, वह धनराशि दिनांक 25 मार्च 2014 से पूर्व या दिनांक 25 मार्च 2014 तक मुख्यालय को अवश्य समर्पित कर दी जाय।

इकाई के आपदाग्रस्त से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि पूर्ण/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त निम्नलिखित आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण/पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में जारी रू. 14.50 लाख की धनरा श के सापेक्ष सम र्पत धनरा श रू. 6.32लाख को 25 मार्च 2014 तक मुख्यालय की सम र्पत न इकाई पर अवरूद्ध रखा गया। (सूची संलग्न) जब क उक्त केन्द्र भवनों का निर्माण 2015-16 में पूर्ण कया जा चुका था। इस प्रकार उक्त धनरा श को लगभग डेढ़ वर्ष से अ धक की अव ध से लेखापरीक्षा ति थ तक इकाई के खाते में रखा जा रहा है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया क धनरा श के व्यय एवं समर्पण हेतु निदेशालय को जिला धकारी स्तर एवं इस कार्यालय से पत्राचार कया गया, परन्तु कोई आदेश प्राप्त न होने के कारण धनरा श खाते में शेष है। उत्तर मान्य नहीं है क्यों क सम र्पत धनरा श को उपरोक्त आदेश के बिन्दु 4 के अनुसार मुख्यालय को सम र्पत कया जाना था, जिसे सम र्पत करने में इकाई असफल रही।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्र.सं.	ब्लॉक	क्षतिग्रस्त आँगनबाड़ी केन्द्र	आवंटित धनरा श रू.	व्यय रू.	अवशेष/डी.पी.ओ. को सम र्पत रू.
1.	भै खयाछाना	दिगोली	4,50,000.00	3,90,000.00	60,000.00
2.	भै खयाछाना	दशौं	4,50,000.00	3,24,000.00	1,26,000.00
3.	ताकुला	मजान	4,50,000.00	80,000.00	3,70,000.00
4.	लमगड़ा	सत्यौं	25,000.00	23,400.00	1,600.00
5.	सल्ट	जसपुरकोट	25,000.00	0.00	25,000.00
6.	सल्ट	नेकेना	25,000.00	0.00	25,000.00
7.	धौलादेवी	दुनाड	25,000.00	0.00	25,000.00
			14,50,000	**8,17,400.00**	**6,32,600.00**

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
2014-15/34	शून्य	प्रस्तर-1- रू.32.58 लाख का अनिय मत क्रय प्रस्तर-2- वगत वर्षों से ब्याज तथा अन्य मदों की अन भज्ञ धनरा श रू. 15.06 लाख बैंक खातों में अवरूध रखना।
2012-13/09	शून्य	03- प्रस्तर 04- STAN

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्त
2014-15/34	इकाई द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार नहीं की गयी थी।			
2012-13/09				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, अल्मोड़ा तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री पी.एस. बृजवाल	जिला कार्यक्रम अ धकारी
2.	श्री रत्नाकर संह	जिला कार्यक्रम अ धकारी

(V) लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अ धकारी, बाल वकास, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रे षत कया गया क वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/05, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.